न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 185/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मनोहरलाल पुत्र स्व0 मोहनलाल गुर्जर निवासी मोचियो की गली, सिंवांची गेट जोधपुर 2– महेश पुत्र मनोहरलाल गुर्जर निवासी मोचियो की गली, सिवांचीगेट जोधपुर 3– ओमप्रकाश पुत्र मनोहरलाल गुर्जर निवासी मोचियो की गली, जोधपुर 4– श्रीमती सरजुदेवी पत्नी मदनलाल जाति माहेश्वरी निवासी नेहरू पार्क, सरदारपुरा जोधपुर 5– श्रीमती लीलादेवी पत्नी जुगलकिशोर जाति माहेश्वरी निवासी नेहरू पार्क सरदारपुरा जोधपुर 6– श्रीमती संतोष पत्नी श्यामसुन्दर जाति माहेश्वरी निवासी नेहरू पार्क, सरदारपुरा जोधपुर 7– श्रीमती मंजुदेवी पत्नी राजकुमार जाति माहेश्वरी निवासी नेहरू पार्क, सरदारपुरा जोधपुर अपीलांट संख्या 4 से 7 जरिये आम मुख्त्यार अपीलांट संख्या 1 मनोहरलाल		1– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर जोधपुर 2– देवस्थान विभाग जरिये सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर 3– तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11–7–2016 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 18/12 अनवान मनोहरलाल वगैरा बनाम सरकार वगैरा मे पारित किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 186/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– मनोहरलाल पुत्र स्व0 मोहनलाल निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल जोधपुर 2 श्रीमती मोहनीदेवी बेवा किशनलाल जाति गुर्जर निवासी पचेवर, तहसील मालपुरा जिला टोंक, हाल निवासी जोधपुर 3–दीनदयाल पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक हाल जोधपुर 4–श्रीमती सायरकंवर धर्मपत्नी स्व0 बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी भिनाय तहसील केकडी जिला अजमेर हाल जोधपुर 5–नरेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी विभाय तहसील केकडी जिला अजमेर हाल जोधपुर 6–महेशचन्द्र पुत्र मनोहरलाल गुर्जर निवासी मोचियो की गली,		1– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर जोधपुर 2– देवस्थान विभाग जरिये सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर 3– तहसीलदार जोधपुर

सिवांची गेट, जोधपुर 7–ओमप्रकाश पुत्र मनोहरलाल गुर्जर निवासी मोचियो की गली, सिवांची गेट जोधपुर 8–हरनारायण पुत्र मनोहरलाल धाबाई जाति गुर्जर निवासी जोधपुर 9–श्रीमती सुदेशकुमारी धर्मपत्नी मनोहरलाल धाबाई जाति गुर्जर निवासी जोधपुर 10–श्रीमती सज्जन कंवर धर्मपत्नी साटुललाल जाति गुर्जर निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल जोधपुर 11–श्रीमती शांति धर्मपत्नी बनवानीलाल जाति गुर्जर निवासी शनीय का थाना जिला सीकर राजस्थान हाल जोधपुर 12–गिरधर गोपाल पुत्र मनोहरलाल धाभाई जाति गुर्जर निवासी जोधपुर 13–विजय प्रकाश पुत्र मनोहरलाल धाभाई जाति गुर्जर निवासी जोधपुर 14– नवरतन पुत्र मनोहरलाल धाभाई जाति गुर्जर निवासी जोधपुर 15– राधेश्याम पुत्र दीनदयाल धाभाई जाति गुर्जर निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोक हाल जोधपुर 16– घनश्याम पुत्र दीनदयाल धाभाई जाति गुर्जर निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक, हाल जोधपुर 17– नटवर पुत्र दीनदयाल धाभाई जाति गुर्जर निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक, हाल जोधपुर 18– श्रीमती प्रेम धाभाई धर्मपत्नी दीनदयाल जाति निवासी पचेवर तहसील मालपुरा जिला टोंक, हाल जोधपुर 19–राजेन्द्रसिह पुत्र बनवारीलाल जाति गुर्जर निवासी नीम का थाना जिला सीकर हाल जोधपुर 20–विजेन्द्रसिह पुत्र बनवारीलाल जाति गुर्जर निवासी नीम का थाना जिला सीकर हाल जोधपुर 21–जितेन्द्रसिह पुत्र बनवारीलाल जाति गुर्जर निवासी नीम का थाना जिला सीकर हाल जोधपुर 22–गोपाल पुत्र स्व0 बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी भिनाय जिला अजमेर हाल जोधपुर 23–अनिल कपूर एवं बाबूलाल धाभाई जाति गुर्जर निवासी भिनाय जिला अजमेर हाल जोधपुर		

24–विष्णु पुत्री स्व0 बाबूलाल धाभाई जाति गुर्जर निवासी भिनाय जिला अजमेर हाल जोधपुर 25– वेदरतन धाभाई पुत्र स्व0 बालकिशन धाभाई जाति गुजर निवासी किशनगढ जिला अजमेर हाल जोधपुर 26– राजेश पुत्र देवरतन धाभाई जाति गुजर निवासी किशनगढ जिला अजमेर हाल जोधपुर 27–मनोज पुत्र लादूराम जाति गुजर निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल जोधपुर 28–लोकेश पुत्र लादूराम जाति गुजर निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल जोधपुर 29–श्रीमती मंजु पत्नी महेशचंद्र धाभाई जाति गुजर निवासी जोधपुर 30–कैलाश पुत्र श्यामलाल धाभाई जाति गुजर निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा हाल जोधपुर 31–सुन्दरलाल पुत्र बद्रीनारायण व्यास निवासी चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड जोधपुर उपरोक्त समस्त जरिये आम मुख्त्यार महेशचन्द्र पुत्र मनोहरलाल जाति गुर्जर निवासी सिवांची गेट जोधपुर एवं ओमप्रकाश पुत्र मनोहरलाल जाति गुर्जर निवासी सिंवांची गेट, जोधपुर		

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11–7–2016 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 25/12 अनवान मनोहरलाल वगैरा बनाम सरकार वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अक्षय कुमार दवे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– राजकीय अधिवक्त रेस्पो0 गण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29–11–2017

उक्त दोनो ही अपीलो मे एक समान कानूनी बिन्दु विचारणीय होने से उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय मे किया जा रहा है । उक्त दोनो अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पाल तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 263 रकबा 4.19 बीघा भूमि,खसरा नंबर 263/1 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 262/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 263/3 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 263/4 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 263/5 रकबा 5 बीघा, 263/6 रकबा 5 बीघा, खसरा नंबर 263/7 रकबा 5 बीघा कुल 39.19 बीघा भूमि अलग अलग खातेदारो के खातेदारी की थी परंतु राज्य सरकार शासन सचिव, देवस्थान विभाग जयपुर के पत्र कमांक प.12 (22) देव/9/ दिनांक 6–3–2003 एवं जिला

कलेक्टर जोधपुर के पत्र दिनांक 27–3–2003 उक्त भूमि निजी खातेदारी से डोली बनाम बालाजी दर्ज कर दी जाने पर वर्तमान अपील संख्या 185/2017 के अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर राज्य सरकार के परिपत्र की पालना मे राजस्व रेकर्ड मे किये गये इन्द्राज को दुरस्त कर डोली बनाम बालाजी का नाम हटाया जाकर पुनः पूर्वानुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 के द्वारा खारीज कर दिये जाने पर इस न्यायालय मे अपील संख्या 185/2017 प्रस्तुत हुई है ।

इसीप्रकार ग्राम पाल के खसरा नंबर 102 रकबा 44 बीघा 10 बिस्वा भूमि सूरजगिरी पुत्र शिवगिरी जाति गोस्वामी निवासी पाल केखातेदारी की थी तथा उक्त भूमि सुरजगिरी पुत्र शिवगिरी को दिनांक 24–2–1975 के बंटवाडे के तहत खातेदारी मे प्राप्त हुई थी जिसमे से 5 बीघा भूमि सरकार द्वारा सडक हेतु अवाप्त की गई जिसका मुआवजा भी खातेदार को अदा किया गया । उक्त भूमि के खातेदार सुरजगिरी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 8–1–1986 के विभिन्न खातेदारो को बेचान कर दी जो कि वर्तमान अपील संख्या 186/2017 के अपीलांटगण है तथा तब से उक्त भूमि पर वे बहैसियत खातेदार काश्तकारान के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चले आ रहे थे । उक्त खातेदारी की भूमि को राज्य सरकार के शासन सचिव, देवस्थान विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.12 (22) देव/9/ दिनांक 6–3–2003 एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्र दिनांक 27–3–2003 उक्त भूमि निजी खातेदारी से डोली बनाम मंदिर रामदेवजी दर्ज कर दी जाने पर वर्तमान अपील संख्या 186/2017 के अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर राज्य सरकार के परिपत्र की पालना मे राजस्व रेकर्ड मे किये गये इन्द्राज को दुरस्त कर डोली बनाम मंदिर रामदेवजी का नाम हटाया जाकर पुनः पूर्वानुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 के द्वारा खारीज कर दिये जाने पर इस न्यायालय मे अपील संख्या 186/2017 प्रस्तुत हुई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी मोखिक बहस के महत्वपूर्ण बिन्दु लिखित मे पेश करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई लोक

अदालत मे सुनवाई का नोटिस अथवा सूचना दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया हुआ होने से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर उक्त अपील पेश की है इसलिए अपील पेश करने मे हुए सद्भावित विलब को क्षमा करने तथा अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा पारित मूल नोटिफिकेशन एवं पूरक नोटिफिकेशन को समझे बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य हे । वकील अपीलांट ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व मे जारी नोटिफिकेशन जिसमे देवस्थान विभाग की समस्त भूमियों को, जिनमे पुजारियो का नाम दर्ज था वहां से पुजारियो का नाम हटा दिया एवं उनकी खातेदारी हटा दी । तब राज्य सरकार द्वारा ही एक अन्य नोटिफिकेशन जारी कर यह आदेश दिया कि जहां पुजारियो का नाम खाते मे दर्ज हैया उन्हे खातेदार के रूप मे दर्शाया हुआ है तो उनको सुनवाई किये बिना इस प्रकार से जो संशोधन राजस्व रेकर्ड मे करते हुए उन खातेदारो व पुजारियो के नाम हटाये है, उनका नाम पुनःराजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने हेतु पुनःसुनवाई की जाये । उसके पश्चात आवश्यक हो तो उनका नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जा सकता है या जारी रखा जा सकता है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के दुसरे नोटिफिकेशन पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली की आदेशिकाओं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की एक पत्रावली मे आदेशिका दिनांक 21–6–16 मे ''पत्रावली केम्प कोर्ट मे पेश हुई ।रिपोर्ट तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त की गई, जिसे शामिल पत्रावली किया जावे । आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावे । पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो ।'' का उल्लेख है । इसी प्रकार अन्य पत्रावली मे आदेशिका दिनांक 19–5–2016 मे इसप्रकार उल्लेख किया गया है ''पत्रावली केम्प कोर्ट हाजा मे दिनांक 11–7–2016 को प्रस्तुत हो । प्रकरण मे तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है । आदेश पृथम से लिखवाया जाकर शामिल मिशल किया गया । पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । जबकि दोनो ही पत्रावलियों मे एक ही दिनांक 11–7–2016 को आदेश पारित किया गया है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त स्थिति अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने

कार्यालय प्रकिया एवं प्रोसिजर को फोलो किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने तथा राज्य सरकार के दोनो नोटिफिकेशन के अनुसार पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज मंदिर माफिक की भूमियो का अवैद्यानिक रूप से नाम विलोपन संबंधी तथ्यो तथा डोली की भूमियो का हस्तांतरण कर डोली की भूमियो को खुर्द बुर्द संबंधी तथ्यो की जानकारी होने पर राज्य सरकार की ओर से देव मूर्तियो की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के शासन सचिव, देवस्थान विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प.12 (22) देव/9/ दिनांक 6–3–2003 एवं उसके कम मे जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्र दिनांक 27–3–2003 के द्वारा अपीलाधीन ग्राम पाल के दोनो अपीलो मे वर्णित खसरा नंबरान की भूमियां जो निजी खातेदारी मे दर्ज थी, जिन्हे राजस्व रेकर्ड मे निजी खातेदारी से डोली बनाम मंदिर बालाजी एवं डोली बनाम मंदिर रामदेवजी का जो इन्द्राज किया गया है तथा उक्त इन्द्राज को दुरस्त करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निजी खातेदारान द्वारा प्रस्तुत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्रो पर पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त दोनो अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो तथा उसके कम मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया । अपील संख्या 185/2017 मे वर्णित ग्राम पाल के खसरा नंबरान 263, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 263/6 व 263/7 की कुल 39.19 बीघा भूमियां तथा अपील संख्या 186/2017 मे वणित ग्राम पाल के खसरा नंबर 102 की रकबा 39.02 बीघा भूमि जो पूर्व मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे निजी खातेदारान के नाम से दर्ज थी, उक्त भूमियां डोली की होने से देव मूर्तियो की भूमियो की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार के शासन सचिव, देवस्थान विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प.12 (22) देव/9/ दिनांक 6–3–2003 एवं उसके कम मे जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्र दिनांक 27–3–2003 मे दिये गये निर्देशो की पालना मे उपरोक्त भूमियां राजस्व रेकर्ड मे निजी खातेदारी से डोली बनाम मंदिर बालाजी एवं डोली बनाम मंदिर रामदेवजी के नाम का इन्द्राज किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

राजस्व रेकर्ड मे हुए उक्त इन्द्राजो की दुरस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निजी खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम के प्रार्थना पत्रो पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे यही अभिमत प्रकट करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारीज किया है, जो विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीले सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2012 एवं 25/2012 मे पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 यथावत रखे जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 29–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर